न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद

प्रकरण संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
1/13	07.01.2013	08.03.2018

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)

उनवान

1. रामभरोस पुत्र गोपाल
2. बद्रीलाल पुत्र गोपाल
3. बद्रीबाई पुत्री गोपाल
4. प्रेमबाई पुत्री गोपाल
5. चन्द्रकला पुत्री गोपाल
6. चन्ताबाई पुत्री गोपाल जाति बलाई निवासीगण बूढादीत तहसील दीगोद जिला कोटा

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राजस्थान

–प्रतिपक्षी

उपस्थित अभिभाषक –

1. श्री छीतरलाल गोचर प्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

–:: आदेश ::–

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में जरिये विद्वान अधिवक्ता इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि, ग्राम बूढादीत तहसील दीगोद में प्रार्थीगण के पिता की गैरखातेदारी की भूमि ख0नं0 484 रकबा 0.89 हे0 दर्ज चली आ रही है। जिसका अंकन जमाबंदी सं0 2067–70 में हो रहा है तथा नक्शा ट्रेस में भी हो रहा है। उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण के पिता गोपाल व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को जानकारी हुई है कि मौके पर भूमि 0.89 हे0 भूमि पूरी है किन्तु नक्शा ट्रेस में उसका अंकन किया गया है वह कम है। जिससे प्रार्थीगण को नुकसान होनें की संभावना है। उक्त जानकारी होनें पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी के अधिकारियों व कर्मचारियों से राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में राजस्व जमाबंदी के अनुसार नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करनें हेतु कहा तो उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण के पिता के खातें दर्ज की गयी भूमि को कम दिखा रखा है। इस पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी व उसके कर्मचारियों को उक्त ख0नं0 484 रकबा 0.89 हे0 भूमि का अंकन नक्शा ट्रेस में

रूप से सही दर्ज करनें हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण प्रार्थीगण के पिता की गैरखातेदारी की भूमि ख0नं0 484 रकबा 0.89 हे0 का अंकन नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार करवायें जानें व दुरूस्ती करानें के अधिकारी है। नक्शा ट्रेस में ख0नं0 484 की भूमि कम दर्ज किये जानें के कारण प्रार्थीगण को भूमि से वंचित होना पडेगा। जबकि प्रार्थीगण मौके पर पूरी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उपरोक्त परिस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर सही रकबे का अंकन करना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिपक्षी द्वारा नक्शा ट्रेस में ख0नं0 484 रकबा 0.89 हे0 भूमि सेटलमेंट के दौरान कम दर्ज करनें पर व पटवारी हल्का द्वारा मौके की व जमाबंदी के अनुसार भूमि की पैमाईश करनें व नक्शा ट्रेस में अंकन करनें से दिनांक 16.11.2012 को इन्कार करनें पर वाद कारण पैदा हुआ।

अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम बूढादीत की बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 484 रकबा 0.89 हे0 भूमि का रकबा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार व मौके के कब्जा के अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती कर अंकन किये जानें का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये–

1. नकल जमाबन्दी ग्राम बूढादीत सम्वत् 2067–72 खाता नम्बर 386
2. नकल नक्शा ट्रेस (वर्तमान) ग्राम बूढादीत ख0नं0 484
3. नकल नक्शा ग्राम बूढादीत सम्वत् 2010
4. नकल नक्शा ग्राम बूढादीत ख0नं0 642/8/1
5. नकल जमाबन्दी ग्राम बूढादीत सम्वत् 2035–38

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अन्त में कथन किये कि प्रकरण में आवंटन समय दिये दखल नामें व नये पुरानें ख0नं0 का मिलान क्षेत्रफल व पटवारी से मौका रिपोर्ट लिया जाना अपेक्षित है।

बाद साक्ष्य विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि, प्रार्थी का रकबा 0.89 हैक्टर है। नक्शा ट्रेस गलत बनाया गया है जमाबन्दी

र्ज रकबे के अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर भी चिंतन मनन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब के कथनों को ही दौहराया।

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का प्रकरण तथा वॉच्छित रिलीफ् के कम में विधिक विचार किया। प्रार्थी ख0नं0 484 रकबा 0.89 हे0 भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी द्वारा सेटलमेंन्ट से पूर्व एवं पश्चात् नक्शे की नकल प्रस्तुत की गई है और किन्तु पूर्व नम्बरान् का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबिक तथा हाल खसरा नम्बरान का मिलान किया जाना संभव नहीं है। इस कारण यह तय नहीं किया जा सकता कि उक्त त्रुटि भू0प्रबन्ध के दौरान हुई है। प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह भी उल्लेखित नहीं है कि प्रार्थीगण वर्तमान नक्शा अनुसार काबिज काश्त है ऐसी सूरत में यह तय किया जाना संभव नहीं है कि सेटलमेंन्ट से पूर्व में उक्त नम्बर के नक्शे का क्या स्वरूप था।

प्रार्थी अपने कथनों को प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ख0न0 का रकबा पूर्व नक्शें की अपेक्षा छोटा बनाया गया है। साथ ही इस तथ्य को प्रकट करने में भी असफल रहा है कि उक्त त्रुटि का सम्बन्ध पूर्णतया भू0प्रबन्ध विभाग से ही है या उक्त त्रुटि कोई लिपिकीय त्रुटि की परिभाषा में आती है। इस प्रकार सेटलमेंन्ट से पूर्व तथा सेटलमेंन्ट के बाद के नक्शे की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

पत्रावली के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि प्रार्थी के हितों के विपरीत किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में की गई हो और उसे दुरूस्त किया जा सके, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रमाणित नहीं है। प्रार्थीगण अपनें प्रार्थना पत्र में यह तथ्य साबित करनें में सफल नहीं रहे है कि सेटलमेंट से पूर्व तथा पश्चात् प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व मानचित्र में कितनी कमी की गई है।

अतः सम्यक् साक्ष्याभाव तथा अन्य विधिक कारणों से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर निर्णीत में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख–भण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक 08/03/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद (कोटा)